Helpline No.:-(+91)-7597122440

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज॰) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in | ई–मेल - jrrsu@yahoo.com | टेलीफैक्स 0141-2850551-75

क्रमांक पं.(106) / जरारासंविवि / परीक्षा–आयो. / 2026 /   दिनांक

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक प.(1) / जरारासंविवि / पीएसएसटी–2025 / 671–674 दिनांक 26.09.2025 एवं परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 19.06.2026 में हुए निर्णयानुसार पीएसएसटी–25 से प्राप्त डेटा अनुसार छात्रों द्वारा संस्कृत रहित होते हुए भी B.A. with Sanskrit Category एवं B.A. with Sanskrit Category होते हुए भी संस्कृत रहित कैटेगरी में प्रवेश लिया है, जिसे महाविद्यालय द्वारा वेरिफाई करके छात्र का प्रवेश कन्फर्म किया गया है। विश्वविद्यालय के नियमानुसार बी.ए.संस्कृत रहित कैटेगरी छात्रों को संस्कृत का सेतु पाठ्यक्रम की परीक्षा अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में छात्रों द्वारा गलत कैटेगरी चयन के कारण सेतु पाठ्यक्रम परीक्षा आवेदन पत्र में जोडना / हटाना आवश्यक हो गया है।

अतः गत वर्ष के अनुसार ही उक्त प्रकरण में प्रवेश अर्हता संबंधी असत्य तथ्यों को प्रमाणित करने वाले महाविद्यालयों पर प्रति छात्र पाठ्यक्रम शुल्क राशि रूपये 26930 / –(अक्षरे रूपये छब्बीस हजार नौ सो तीस मात्र) की दुगनी राशि रूपये 53860 / –(अक्षरे तिरेपन हजार आठ सौ साठ मात्र) की पेनल्टी लगाई जाती है।

समिति द्वारा वर्ष 2025–26 की पीएसएसटी में जिन गैर संस्कृत विषय के छात्रों द्वारा सहवन से संस्कृत विषय एवं संस्कृत विषय के छात्रों द्वारा सहवन से गैर संस्कृत विषय चयन कर प्रवेश लिया गया है, उन छात्रों के शिक्षाशास्त्री परीक्षा आवेदन पत्र में सेतु पाठ्यक्रम विषय जोड़ने / हटाने का संशोधन महाविद्यालयों से उनके लैटरहैड पर पत्र एवं यथोचित प्रमाण पत्र लेते हुए संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रकरण में संबंधित महाविद्यालयों की सूची प्राप्त होने पर परीक्षा अनुभाग द्वारा पेनेल्टी की वसूली हेतु संबंधित संस्था को 07 दिवस में जमा कराने हेतु सूचित किया जावेगा। संबंधित संस्था द्वारा निर्धारित अवधि में शास्ति राशि जमा नही करवाये जाने की दशा में पेनल्टी राशि की वसूली पीएसएसटी–2025 की बकाया भुगतान राशि 25 प्रतिशत में किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

कुलसचिव

क्रमांक पं.(106) / जरारासंविवि / परीक्षा–आयो. / 2026 / 575–80   दिनांक 25/6/2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, कुलगुरु महोदय, जरारासंविवि, जयपुर।
2. निजी सहायक, कुलसचिव, जरारासंविवि, जयपुर।
3. वित्त नियंत्रक, जरारासंविवि, जयपुर।
4. सहायक कुलसचिव, पीएसएसटी शाखा को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
5. अनुबंधित कम्प्यूटर एजेन्सी को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार कार्यवाही कार्यवाही कर महाविद्यालयों की सूची व छात्रों का विवरण उपलब्ध करवाने का श्रम करें।
6. प्रभारी, वेबसाईट, जरारासंविवि, जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Soni
Designation : Registrar
Date: 2026.06.25 13:32:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23017148